न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	डालूराम / धर्मपाल (GCMS-2020/00140)	

20/12/24 ... उपस्थित
P.O साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/2/25
को पेश हो।

..04/2025

इजलासी पेशी होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप०। वादीगण की ओर से शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षण PW1 ता PW_2 पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। वास्ते बहस मिसल दिनांक 09/05/2025 को पेश हो।

(कानि. डालूराम)

09/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष को सुनी गायी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 25.05.2025 को पेश हो।

25/05/25

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमाने का निवेनदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा राजीनामा, संलग्न शपथ पत्रों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3, 5, 6, 14, 18, 19, 22 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वादीगण के वादपत्र पर सहमति जाहिर करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Sin
Yadav
Date: 2025.07.11 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	राजीनामा पेश किया हैं जबकि शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे शेष प्रतिवादीगण की भी वादीगण के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना वादग्रस्त आराजी में ज़मा योग्य स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर जमा योग्य राशि राजकोष में जमा की जाने के उपरान्त मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. डालूराम पुत्र सुण्डाराम
2. जयनारायण पुत्र मालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी न्यामाला तन पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. औंकार पुत्र हेमा वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 159 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना वादग्रस्त आराजी में जमा योग्य स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर जमा योग्य राशि राजकोष में जमा की जाने के उपरान्त मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।.**

निज......................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा.............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested